

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (ए-262) अलेसे- I/ 930

दिनांक:- 15/06/2020

कार्यालय आदेश

श्री अशोक कुमार रांका, (निलम्बित) सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1 (लिनक नं. 4750) के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर रेंज, उदयपुर द्वारा कार्यालय पंचायत समिति, बडीसादड़ी (चित्तौड़गढ़) में कार्यरत अवधि के दौरान हुई वित्तीय अनियमितताओं के लिए पंजीकृत अपराध संख्या 465/2014, अन्तर्गत धारा 13 (1) (सी.) (डी.) सपठित धारा 13 (2), 15 पी.सी.एक्ट 1988 एवं 193, 477ए. व 120बी. भारतीय दण्ड संहिता, के संबंध में इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 841 दिनांक 04.03.2020 के द्वारा निलम्बित कर मुख्यालय कोषालय, भीलवाड़ा किया गया था।

अतः श्री अशोक कुमार रांका, (निलम्बित) सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1 का मुख्यालय अब परिवर्तित कर कोषालय, भीलवाड़ा के स्थान पर कोषालय, उदयपुर (शहर) किया जाता है।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (ए-262) अलेसे- I/ 930

दिनांक:- 15/06/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 उपकोषालय, बडीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)
- 2 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर रेंज, उदयपुर।
- 3 कोषाधिकारी, उदयपुर (शहर)।
- 4 कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़।
- 5 कोषाधिकारी, भीलवाड़ा।
- 6 निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 7 संयुक्त निदेशक, विधि/जांच, कार्यालय हाजा।
- 8 उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 9 श्री अशोक कुमार रांका (निलम्बित), सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1, कार्यालय कोषाधिकारी, भीलवाड़ा।


(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)